

प्रिय,

श्री. राम कुमार,
विदेश सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा ब्लॉक-2, सुब्रह्मण्य रोड,
प्रतिष्ठान विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा 171 अनुदान

संख्या: दिनांक: 24 दिसम्बर, 2001

विषय:- **शुद्धि के लिए पब्लिक स्कूल कारागार की सी०बी०एस०बी० नई दिल्ली से संबंधित हेतु अनुदायित प्रमाण पत्र दिने धर्म के संबंध में।**

प्रतीक,

अनुदायित प्रमाण पत्र के बिना कले का रिपोर्ट भूषा है कि शुद्धि के लिए पब्लिक स्कूल कारागार की सी०बी०एस०बी० नई दिल्ली से संबंधित हेतु अनुदायित प्रमाण पत्र दिने धर्म के इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिक्रिया के अंतर्गत अनुदायित नहीं है :-

- 111 विधानसभा की पकी हुई सारितापटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 121 विधानसभा की प्रकृति सभित से शिक्षा निदेशक द्वारा वांछित एक उदाहरण होगा।
- 131 विधानसभा में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजात के बच्चों के लिए सुरक्षित होंगे और उन्हें 3090 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा समर्पित विधानसभा में विभिन्न बच्चों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 141 संज्ञा द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विधानसभा माध्यमिक शिक्षा परिषद अर्थात् केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विधानसभा की संबंधित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस पर धारा 3090 से उक्त केन्द्रीय परिषद की संबंधित प्राप्त होने की तिथि त 3090 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त ही जायेगा।

154. तंत्रिया वैश्विक स्वरूपात्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमत्त वेतनमानों तथा अन्य भातों से कम वेतनमान तथा अन्य भातों नहीं दिये जायेगे ।
161. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अराजकीय उद्योग विभागों के कर्मचारियों के अनुमत्त वेतानिश्चित का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे ।
171. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निगता किये जायेगे तंत्रिया उनका पालन करेगी ।
181. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वनिर्देशन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन वा परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना तंत्रिया के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि तंत्रिया द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की वृक वा स्थि-
तता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्यायित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भारतीय,

। राम कुमार ।
विशेष सचिव ।

पृ० सं०- 905-111/15-7-सद्विनिर्देश

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
 - 2- मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, द्वैती पाठन केंद्र गोरखपुर ।
 - 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर ।
 - 4- निरीक्षक, अंगन भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- अतिरिक्त, अनुसूचित कक्षा पाठक स्कूल कानपुर ।

बुका से,

। अखिलेश चन्द्र गुप्त ।
अनु सचिव ।